



फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि. छोटीलाल माली

प्रकरण संख्या : 116/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन दउ एक्ट)

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|------------------------------|---|--|
| 15.11.2021 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने सक्षम प्राधिकारी की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रेस किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस किये जाने से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (अन्तर सिंह नेहरा) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p> | <p style="text-align: right;">Notepress  15/11/2021</p> |